[2021] 3 उम. नि. प. 441

मोहम्मद रफ़ीक उर्फ **कल्लू**

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य

[2021 की दांडिक अपील सं. 856]

15 सितंबर, 2021

न्यायमूर्ति के. एम. जोसफ और न्यायमूर्ति एस. रविन्द्र भट

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 302 और धारा 304 – हत्या या हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव वध – एक दुर्घटना में अंतर्ग्रस्त ट्रक को ड्यूटी पर तैनात मृतक-पुलिस उप-निरीक्षक द्वारा रोकने का संकेत किया जाना – अभियुक्त-ट्रक के ड्राइवर द्वारा ट्रक को धीमा किया जाना और फिर गति बढ़ा दिया जाना – पुलिस उप-निरीक्षक द्वारा ट्रक की खिड़की पर चढ़ जाना – अभियुक्त-ड्राइवर द्वारा उसे धक्का देकर नीचे गिरा देना और ट्रक के पहिए के नीचे कुचल जाने से उसकी मृत्यु हो जाना – दोषसिद्धि – आजीवन कारावास का दंडादेश – आशय – चूंकि अभियोजन पक्ष द्वारा यह तो सिद्ध किया गया है कि अभियुक्त द्वारा धक्का देने पर मृतक-पुलिस उप-निरीक्षक ट्रक से नीचे गिर गया था किंतु यह सिद्ध नहीं होने पर कि अभियुक्त का आशय जानबूझकर और पूर्व-चिंतन करके मृतक की मृत्यु कारित करना था और वह जानता था कि मृतक ट्रक के नीचे अंदर की तरफ गिर गया है और ट्रक के पिछले पहिए उसके ऊपर से निकल जाएंगे और उसकी मृत्यु हो जाएगी, किंतु इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियुक्त का आशय ऐसी शारीरिक क्षति कारित करना था जिससे मृत्यु कारित होना संभाव्य था, इसलिए अभियुक्त को धारा 302 के बजाय धारा 304 भाग 1 के अधीन दोषसिद्ध और दंडादिष्ट करना उचित होगा ।

इस अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि पुलिस थाना, जबेरा को तारीख 9 मार्च, 1992 की सायंकाल में सूचना प्राप्त हुई कि एक ट्रक ने वन विभाग के गतिरोधक (बैरियर) को तोड़ दिया है और एक

मोटरसाइकिल से टकरा गया है । इस सूचना की प्राप्ति (दूरभाष पर हुई बातचीत के द्वारा) पर पुलिस सतर्क हुई । उप-निरीक्षक डी. के. तिवारी के साथ अन्य पुलिस वाले मुख्य सड़क पर एक अनुकूल स्थान पर खड़े थे, जब ट्रक वहां पहुंचा । उप-निरीक्षक तिवारी ने ट्रक को रोकने के लिए संकेत किया जिसे अपीलार्थी-अभियुक्त द्वारा चलाया जा रहा था । अभियुक्त ने ब्रेक लगाने की बजाय उसकी गति बढ़ाने की कोशिश की, किंतु उप-निरीक्षक तिवारी ट्रक पर इसकी बांयी दिशा से चढ़ गया । अभिकथित रूप से इस प्रकम पर अभियुक्त/अपीलार्थी ने उप-निरीक्षक तिवारी को चेतावनी दी कि वह ऐसा न करे और उसे मार दिया जाएगा । फिर भी उप-निरीक्षक तिवारी ट्रक पर चढ़ गया । अभियुक्त-अपीलार्थी ने तुरंत उसे धक्का दे दिया जिसके परिणामस्वरूप उप-निरीक्षक तिवारी ट्रक से गिर गया और वह ट्रक के पिछले पहियों के नीचे कुचला गया । उप-निरीक्षक तिवारी की मृत्यु हो गई । अभिकथित रूप से अपीलार्थी ट्रक लेकर भाग गया । उसे बाद में पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया और उप-निरीक्षक तिवारी की हत्या करने के लिए आरोपित किया गया । विचारण न्यायालय ने उसके समक्ष प्रस्तुत संपूर्ण साक्ष्य और सामग्री पर सम्यक् रूप से विचार करने के पश्चात् अपने निर्णय और आदेश द्वारा अपीलार्थी को आरोपित किए गए अनुसार दोषसिद्ध किया और उसे कठोर आजीवन कारावास का दंडादेश दिया । दोषसिद्धि और दंडादेश के विरुद्ध अपील को उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया । अभियुक्त द्वारा उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश से व्यथित होकर उच्चतम न्यायालय में अपील फाइल की गई । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील को भागत: मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – इस बारे में कोई गंभीर विवाद नहीं किया जा सकता है कि अभियोजन पक्ष ने अपने तथ्यात्मक अभिकथनों के इन मुख्य अवयवों को सिद्ध किया था – वन विभाग के गतिरोधक (बैरियर) को तोड़ने की सूचना की प्राप्ति ; मृतक उप-निरीक्षक तिवारी द्वारा सड़क पर पुलिस की टुकड़ी के साथ मोर्चा संभाल लेना ; अपीलार्थी की उस व्यक्ति के रूप में शनाख्त करना जो ट्रक चला रहा था ; मृतक द्वारा

अपीलार्थी को ट्रक रोकने के लिए संकेत करना ; अपीलार्थी द्वारा यान को धीमा करना ; उप-निरीक्षक द्वारा यान पर चढ़ने का प्रयत्न करना और ड्राइवर द्वारा ट्रक रोकने से इनकार करने के कारण उसके द्वारा ट्रक को डगमगाया जाना तथा दूसरी ओर, यान की गति बढ़ा देना । यदि अभियोजन पक्ष के इस वृत्तांत को स्वीकार कर लिया जाए कि अपीलार्थी ने मृतक को मार देने की धमकी दी थी, कोई भी इस बात से सहमत नहीं हो सकता है क्योंकि मृतक के विरुद्ध कोई हेतु या कोई विद्वेष साबित नहीं हुआ था । जान से मार देने की धमकी की एक साधारण अभिव्यंजना को (ऐसा करने के किसी वास्तविक आशय के बिना, चूंकि ट्रक में कोई विनिषिद्ध पदार्थ नहीं लदा था या किसी अवैध या संदेहास्पद कार्यकलाप के लिए प्रयुक्त नहीं किया गया था चूंकि वास्तव में ट्रक के स्वामी ने विचारण के दौरान अभिसाक्ष्य दिया था) अधिक महत्व नहीं दिया जा सकता है । परिणामतः, ट्रक से मृतक के गिरने पर अपीलार्थी ने ट्रक चला दिया था । इस मामले में, अभियोजन पक्ष ने यह सिद्ध किया है कि ट्रक को मृतक की बात पर ध्यान दिए बिना चला दिया गया था, तथापि, इस बात से ड्राइवर (अर्थात् अपीलार्थी) के मृतक को कुचलने का आशय सिद्ध नहीं होता है । यह प्रश्न, यद्यपि सूक्ष्म है, महत्वहीन नहीं है क्योंकि यह आशय की प्रकृति की तह में जाता है । क्या अपीलार्थी का आशय उप-निरीक्षक तिवारी को जान से मार देना था ? हमारा ऐसा विचार नहीं है । स्पष्ट रूप से, वह जानता था कि उप-निरीक्षक तिवारी गिर गया है, फिर भी उसने ट्रक चलाना जारी रखा । तथापि, क्या मृतक ट्रक के पिछले पहिए की सीध में गिरा था या वह यान के निकट गिरा था, यह बात साबित नहीं की गई है ; समान रूप से साक्ष्य से यह भी स्पष्ट नहीं है कि अपीलार्थी जानता था कि उसने ऐसा किया है । तथापि, जो साबित किया गया था वह यह है कि मृतक ट्रक से गिर गया था और ट्रक चलाया गया था, शायद ज्यादा गति से । इससे यह साबित नहीं होता है कि अपीलार्थी ने जानबूझकर मृतक के ऊपर से ट्रक चला दिया था और वह जानता था कि मृतक इसके नीचे गिर गया है जिससे कि ट्रक का पिछला टायर उसके ऊपर से निकल गया होगा । इन परिस्थितियों में, तथापि यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अपीलार्थी का आशय ऐसी शारीरिक क्षति कारित करना

था जिससे उप-निरीक्षक तिवारी की मृत्यु होना संभाव्य था । सभी आवश्यक तत्वों से दर्शित होता है कि अपीलार्थी का मृतक के साथ पहले से कोई झगड़ा और विद्वेष नहीं था । जिस कृत्य के परिणामस्वरूप उप-निरीक्षक तिवारी की मृत्यु हुई थी उसका पूर्व-चिंतन नहीं किया गया था । यद्यपि यह नहीं कहा जा सकता है कि अचानक प्रकोपन के कारण कोई झगड़ा हुआ था, यदि इस बात पर विचार किया जाए कि मृतक ने ट्रक पर चढ़ने की कोशिश की थी और शायद वह सादे कपड़ों में था, तो उसका विरोध करना अपीलार्थी की स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी किंतु उसने अननुपातिक रूप से प्रतिक्रिया की थी, जिसके परिणामस्वरूप मृतक को यान से धकेल दिया गया था । मृतक को धकेल देने का ऐसा कृत्य और ट्रक को रोके बिना ट्रक को चलाते रहना आवेश की तीव्रता या क्रोध में किया गया कार्य प्रतीत होता है । इसलिए यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपीलार्थी की दोषसिद्धि उचित नहीं थी । प्रस्तुत मामले के तथ्यों में, इस न्यायालय की यह राय है कि अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के प्रथम भाग के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाना चाहिए चूंकि उसका आशय मृतक को ऐसी शारीरिक अपहानि कारित करने का था जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु कारित होना संभाव्य था, जैसा कि उसने किया था । इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, निचले न्यायालयों द्वारा अभिलिखित की गई दोषसिद्धि को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग-1 के अधीन आने वाली दोषसिद्धि में परिवर्तित किया जाता है । अत: दंडादेश को भी उपांतरित किया जाता है – कठोर आजीवन कारावास के बजाय अपीलार्थी को 10 वर्ष के कठोर कारावास का दंडादेश दिया जाता है । तथापि, जुर्माने का संदाय करने के निदेश के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाती है । (पैरा 14, 15 और 16)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2006]	(2006) 11 एस. सी. सी. 444 :	
	पुलीचेर्ला नागराजू उर्फ **नागराजा रेड्डी**	
	बनाम **आंध्र प्रदेश राज्य** ;	13

[1976] [1977] 3 उम. नि. प. 1104 = (1976) 4 एस. सी. सी. 382 : **आंध्र प्रदेश राज्य** बनाम **रायवरपू पून्नया और एक अन्य** । 12

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2021 की दांडिक अपील सं. 856.

1995 की दांडिक अपील सं. 1570 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के तारीख 27 फरवरी, 2018 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से सुश्री रितु गांगले

प्रत्यर्थी की ओर से श्री गोपाल झा

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति एस. रविन्द्र भट ने दिया ।

न्या. भट – अपीलार्थी 1995 की दांडिक अपील सं. 1570 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के 27 फरवरी, 2018 के उस निर्णय से व्यथित है जिसके द्वारा उसकी भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्धि और उस पर अधिरोपित कठोर आजीवन कारावास के दंडादेश की पुष्टि की गई है ।

2. तथ्य यह हैं कि पुलिस थाना, जबेरा को तारीख 9 मार्च, 1992 की सायंकाल में सूचना प्राप्त हुई कि एक ट्रक (सीपीक्यू 4115) ने वन विभाग के गतिरोधक (बैरियर) को तोड़ दिया है और एक मोटरसाइकिल से टकरा गया गया है । इस सूचना की प्राप्ति (दूरभाष पर हुई बातचीत के द्वारा) पर पुलिस सतर्क हुई । यह भी अधिकथित है कि उप-निरीक्षक डी. के. तिवारी के साथ अन्य पुलिस वाले मुख्य सड़क पर एक अनुकूल स्थान पर खड़े थे, जब ट्रक वहां पहुंचा । उप-निरीक्षक तिवारी ने ट्रक को रोकने के लिए संकेत किया ; इसे अपीलार्थी द्वारा चलाया जा रहा था । अभियुक्त ने ब्रेक लगाने की बजाय इसकी गति बढ़ाने की कोशिश की, जिसके उपरांत उप-निरीक्षक तिवारी ट्रक पर इसकी बाईं दिशा से चढ़ गया । यह अभिकथित है कि इस प्रकम पर अभियुक्त/अपीलार्थी ने उप-निरीक्षक तिवारी को चेतावनी दी कि वह ऐसा न करे और उसे मार दिया जाएगा । फिर भी उप-निरीक्षक तिवारी ट्रक पर चढ़ गया । अपीलार्थी ने

तुरंत उसे धक्का दे दिया जिसके परिणामस्वरूप उप-निरीक्षक तिवारी ट्रक से गिर गया और वह ट्रक के पिछले पहियों के नीचे कुचला गया । उप-निरीक्षक तिवारी की मृत्यु हो गई । यह भी अभिकथित है कि अपीलार्थी ट्रक लेकर भाग गया । उसे बाद में पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया और उप-निरीक्षक तिवारी की हत्या करने के लिए आरोपित किया गया ।

3. अपर सेशन न्यायाधीश, दामोह के समक्ष विचारण में अभियोजन पक्ष ने 18 साक्षियों के अभिसाक्ष्यों के अतिरिक्त कई प्रदर्शों, जिनमें मरणोत्तर परीक्षा रिपोर्ट, घटनास्थल से वस्तुओं के अभिग्रहण और चिकित्सा साक्ष्य (अभि. सा. 6) सम्मिलित हैं, का अवलंब लिया । अभियोजन पक्ष ने आवश्यक रूप से अभि. सा. 2, अभि. सा. 10, अभि. सा. 11, अभि. सा. 14 और अभि. सा. 15 अर्थात् प्रमुख प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के कथनों का अवलंब लिया । अभियुक्त ने भी तीन साक्षियों का मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किया जिनमें मजीद, प्रति. सा. 1 का साक्ष्य सम्मिलित है जिसने यह अभिसाक्ष्य दिया कि जब घटना घटी थी तब वह उस ट्रक में कंडक्टर था ।

4. विचारण न्यायालय ने उसके समक्ष प्रस्तुत संपूर्ण साक्ष्य और सामग्री पर सम्यक् रूप से विचार करने के पश्चात् 1992 के सेशन मामला सं. 123 में तारीख 4 नवंबर, 1995 के अपने निर्णय और आदेश द्वारा अपीलार्थी को आरोपित किए गए अनुसार दोषसिद्ध किया और उसे कठोर आजीवन कारावास का दंडादेश दिया । दोषसिद्धि और दंडादेश के विरुद्ध अपील को आक्षेपित आदेश द्वारा नामंजूर कर दिया गया था ।

5. अपीलार्थी की ओर से सुश्री रितु गांगले, अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि साक्ष्य का गहराई से पठन करने के पश्चात् यह प्रकट होता है कि अभि. सा. 2, अभि. सा. 10, अभि. सा. 14 और अभि. सा. 15 के अभिसाक्ष्यों में घातक विरोधाभास और बढ़ा-चढ़ा कर कही गई बातें हैं । यह उल्लेख किया गया कि मृतक द्वारा ट्रक पर इसकी बाईं दिशा से चढ़ने और अपीलार्थी द्वारा धक्का देने के बारे में वृत्तांत इस बात पर विचार करते हुए अत्यधिक अनधिसंभाव्य है कि दो साक्षियों ने स्पष्ट रूप से यह अभिसाक्ष्य दिया है कि अपीलार्थी अर्थात् अभियुक्त ने ट्रक को चलाना जारी रखा था । यह दलील दी गई कि

यदि ऐसी स्थिति थी तो अभियोजन पक्ष द्वारा यह सिद्ध किए बिना कि मृतक वास्तव में ट्रक पर चढ़ गया था और इसमें ड्राइवर के निकट बैठ गया था, अभियुक्त के लिए उसे इतने बलपूर्वक धक्का देना असंभव था कि वह गिर गया होगा और पिछले पहियों के नीचे कुचला गया होगा ।

6. विद्वान् काउंसेल ने अभि. सा. 2 और अभि. सा. 10 के अभिसाक्ष्यों का भी उल्लेख किया और यह दलील दी कि अन्वेषण के दौरान अभिलिखित किए गए मूल कथनों में कई सारे सुधार किए गए थे । यह कहा गया कि अभि. सा. 2 द्वारा अन्वेषण के दौरान किए गए कथन में यह उल्लेख नहीं था कि अभियुक्त, जब वह 9.45 बजे अपराह्न में ट्रक में था, की शनाख्त कैसे की गई थी जबकि अभि. सा. 2 के अभिसाक्ष्य में यह कहा गया है कि उसने अभियुक्त की शनाख्त केबिन की रोशनी में और सड़क पर लगी ट्यूब लाइट की रोशनी में की थी । विद्वान् काउंसेल ने यह भी उल्लेख किया कि अभि. सा. 2 ने विचारण के दौरान अपने पूर्ववर्ती कथन में सुधार किया था क्योंकि उसने पहले यह नहीं कहा था कि उसने मृतक को धक्का देने के लिए अपने बाएं हाथ को खाली किया था और साथ ही साथ उसने दाएं हाथ से ट्रक चलाना जारी रखा था । सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विद्वान् काउंसेल द्वारा यह दलील दी गई कि इस साक्षी ने पहले कहीं भी यह नहीं कहा था कि ट्रक ने धीमा होने के पश्चात् रफ्तार पकड़ ली थी – यह वह स्थिति है जिसके बारे में उसने विचारण के दौरान अभिसाक्ष्य दिया था ।

7. अगली दलील यह दी गई कि सभी अन्य तथाकथित प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के अभिसाक्ष्य संदेहास्पद थे क्योंकि उन्होंने घटना के बारे में एक जैसे स्वर में अभि. सा. 2 के अभिसाक्ष्य के समरूप रीति में अभिसाक्ष्य दिया था । विद्वान् काउंसेल ने चार व्यक्तियों द्वारा एक जैसी रीति में घटना का अवलोकन करने की अनधिसंभाव्यता का उल्लेख किया, यद्यपि वे भिन्न-भिन्न दिशा-बिंदुओं और स्थानों पर खड़े थे किंतु इस बात को देखते हुए कि घटना अंधेरे में घटी थी उन्होंने एक जैसा वर्णन किया था । यह दलील दी गई कि सभी साक्षी एक ही स्थल पर नहीं खड़े थे अपितु भिन्न-भिन्न स्थलों पर खड़े थे । इन परिस्थितियों

में, रोशनी की प्रकृति अर्थात् उस क्षेत्र में रोशनी कैसी थी तथा संबंधित साक्षियों की संबंधित अवस्थान से दूरी अर्थात् जहां घटना घटी थी, निर्णायक हो जाती है । निचले न्यायालयों ने इन महत्वपूर्ण विशेषताओं की अनदेखी की और अपीलार्थी को हत्या का दोषी ठहराया । विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी कि अभियुक्त के किसी हेतु को इंगित करते हुए अभिलेख पर कोई सामग्री नहीं है । उन्होंने इस बात को उजागर किया कि मृतक वर्दी में नहीं था अपितु सादे कपड़ों में था और यान पर चढ़ने के उसके प्रयासों का अपीलार्थी द्वारा विरोध किया गया था, जो यह नहीं जानता था कि वह एक लोक सेवक है । यह दलील दी गई कि अत: हत्या कारित करने के लिए अपीलार्थी के किसी विद्वेष या आशय का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

8. राज्य की ओर से हाजिर होने वाले श्री गोपाल झा ने इस न्यायालय से यह आग्रह किया कि विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा अभिलिखित एक जैसे निष्कर्षों और दोषसिद्धि में हस्तक्षेप न किया जाए । उन्होंने यह दलील दी कि दोनों निचले न्यायालयों ने साक्ष्य पर सावधानीपूर्वक विचार किया था और यह निष्कर्ष निकाला था कि अपीलार्थी ने उप-निरीक्षक तिवारी को उस समय जानबूझकर धक्का दिया था जब वह ट्रक पर चढ़ गया था । इतना ही नहीं, अपीलार्थी ने उप-निरीक्षक तिवारी को धमकी दी थी कि यदि उसने ट्रक के संचालन में हस्तक्षेप किया तो उसे जान से मार दिया जाएगा । जब उप-निरीक्षक तिवारी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और वास्तव में ट्रक पर चढ़ गया, तो अपीलार्थी ने नृशंस रीति में उसे बाहर धकेल दिया और ट्रक को रोकने की बजाय जानबूझकर उप-निरीक्षक तिवारी को कुचल दिया । चिकित्सा साक्ष्य से भी अभियोजन का यह वृत्तांत सिद्ध होता है कि ट्रक ने उप-निरीक्षक तिवारी को कुचल दिया था चूंकि उसके शव पर कई सारी क्षतियां पाई गई थीं जिनमें टूटी हुई प्लीहा और अंतड़ियां थीं और उसकी खोपड़ी चकनाचूर हो गई थी । यह दलील दी कि साक्षियों के अभिसाक्ष्यों में विरोधाभास होने के संबंध में अपीलार्थी की ओर से दी गई दलीलों से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए साक्ष्य पर कुल मिलाकर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है जिससे स्पष्ट

रूप से यह दर्शित होता है कि अपीलार्थी द्वारा उप-निरीक्षक तिवारी को धक्का दिया गया था और उसे जानबूझकर उसे कुचला था । विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी कि इन बातों से युक्तियुक्त संदेह के परे हत्या करने का आशय सिद्ध होता है ।

विश्लेषण और निष्कर्ष

9. विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय के अभिलेख, साक्ष्य तथा इस न्यायालय के समक्ष दी गई दलीलों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात् जो एकमात्र प्रश्न उद्भूत होता है वह अपीलार्थी के आपराधिक दायित्व की सुस्पष्ट प्रकृति के बारे में है । घटना के घटित होने के बारे में कोई गंभीर विवाद नहीं किया जा सकता है ; सभी प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों – विशेष रूप से अभि. सा. 2 ने तीव्र गति से चल रहे एक ट्रक के बारे में सूचना प्राप्त होने के संबंध में अभिसाक्ष्य दिया था जिसने वन विभाग के गतिरोधक (बैरियर) को उड़ा दिया था और जो एक मोटरसाइकिल के साथ दुर्घटना में भी अंतर्वलित था । उप-निरीक्षक तिवारी को इस सूचना के बारे में सतर्क किया गया और इसलिए उसने सड़क पर स्वयं के साथ-साथ कुछ अन्य पुलिस वालों के साथ मोर्चा संभाल लिया । साक्ष्य से यह भी प्रकट होता है कि घटना एक पुलिस थाने के समीप घटी थी । पुलिस थाने के पास एक मेडीकल स्टोर था । प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, घटना स्पष्ट रूप से 9.45 बजे अपराह्न में घटी थी ; किसी भी दशा में, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की प्रति से यह प्रकट होता है कि इसे 10.10 बजे अपराह्न में अभिलिखित किया गया था ; इसमें घटना का समय 9.50 बजे अपराह्न दर्शाया गया है । अन्वेषण के दौरान अभियोजन साक्षियों द्वारा रोशनी के स्रोत के बारे में किए गए कथनों के बीच कुछ विरोधाभास है । अभि. सा. 2 ने यह स्वीकार किया था कि उसने किसी रोशनी के बारे में उल्लेख नहीं किया था और उसने इस बारे में पहली बार न्यायालय में अभिसाक्ष्य दिया था तथा उसने ट्रक की केबिन के भीतर रोशनी के स्रोत के कारण लगभग 50 फुट की दूरी से अभियुक्त की शनाख्त की थी । इस पहलू पर गंभीर विवाद नहीं किया जा सकता है क्योंकि ऐसी कोई दलील नहीं है कि अपीलार्थी वास्तव में ट्रक नहीं चला रहा था । तथापि, जो अधिक महत्वपूर्ण बात है

वह घटनाओं का सटीक क्रम है । अभि. सा. 2, अभि. सा. 14 और अभि. सा. 15 के अभिसाक्ष्य समनुरूप हैं क्योंकि ट्रक धीमा हुआ था और उप-निरीक्षक तिवारी ने अपीलार्थी को इसे रोकने के लिए कहा था । जब अपीलार्थी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, तो उप-निरीक्षक तिवारी ने उसे रोकने का प्रयत्न किया और ट्रक पर चढ़ गया । अपीलार्थी ने उस समय पर अभिकथित रूप से उप-निरीक्षक तिवारी को धक्का दे दिया । यह बिंदु निर्णायक हो जाता है क्योंकि साक्षियों ने सतत रूप से यह अभिसाक्ष्य दिया था कि उप-निरीक्षक तिवारी ट्रक के दाईं तरफ चढ़ गया था । यदि ऐसा था, तो अभियुक्त को इस बात पर निर्भर करते हुए कि उप-निरीक्षक तिवारी ट्रक के अंदर कितना सुरक्षित था, अपने दोनों हाथों का प्रयोग करना पड़ता । तथापि, अभि. सा. 2 के अभिसाक्ष्य से यह प्रकट होता है कि अभियुक्त-अपीलार्थी ने अपने दाएं हाथ से ट्रक को चलाना जारी रखा था और उप-निरीक्षक तिवारी को धक्का देने के लिए अपने बाएं हाथ का प्रयोग किया था ।

10. हमने यह पाया है कि उच्च न्यायालय पूरी तरह से अभियोजन के वृत्तांत के अनुसार नहीं चला था और आक्षेपित निर्णय में यह मत व्यक्त किया है कि उप-निरीक्षक तिवारी ट्रक से "ट्रक की अत्यधिक गति" होने के कारण गिर गया था । यदि ऐसी स्थिति है, तो अभियोजन पक्ष का यह वृत्तांत अविश्वसनीय है कि अपीलार्थी ने उसे धक्का दिया था और जानबूझकर उप-निरीक्षक तिवारी को कुचला था । अभि. सा. 10 के अभिसाक्ष्य में यह कहा गया है कि ट्रक को रोकने के लिए कहने पर अपीलार्थी ने वास्तव में ट्रक को धीमा किया था और उसके पश्चात् उप-निरीक्षक तिवारी के साथ थोड़ी-सी कहासुनी हुई थी और इसके पश्चात् मृतक ट्रक पर चढ़ गया था । अभि. सा. 10 ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया था कि ट्रक को "टेढ़ी-मेढ़ी रीति में" चलाया गया था । इन सभी बातों को देखते हुए, प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों अभि. सा. 2, अभि. सा. 10, अभि. सा. 14 और अभि. सा. 15 के वास्तविक घटना के बारे में सुधार करने और बढ़ा-चढ़ा कर कथन करने की बात से इनकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि वे मृतक के सहयोगी और अधीनस्थ थे, तथापि, इसमें कोई संदेह नहीं किया जा सकता है कि घटना मोटे तौर पर अभियोजन पक्ष द्वारा

अभिकथित रीति में घटी थी । ट्रक वन विभाग के गतिरोधक (बैरियर) से टकराने की एक पूर्ववर्ती घटना में अंतर्वलित होने की सूचना की प्राप्ति के उपरांत उप-निरीक्षक तिवारी ने पुलिस थाने के सामने स्वयं और अन्य के साथ मोर्चा संभाल लिया था । जब अपीलार्थी ट्रक में घटनास्थल पर पहुंचा तो उप-निरीक्षक तिवारी ने उसे रुकने का संकेत किया । कुछ क्षण के लिए उसने ट्रक को रोका, इसके पश्चात् उप-निरीक्षक तिवारी बाईं तरफ से ट्रक पर चढ़ गया । इस बिंदु के पश्चात् से अभियोजन का वृत्तांत अनधिसंभाव्य प्रतीत होता है और कहीं न कहीं विरोधाभासों से घिरा है । यदि इस तथ्य पर विचार किया जाए कि कम से कम दो प्रत्यक्षदर्शी साक्षी पक्षद्रोही हो गए थे और अभि. सा. 2 और अभि. सा. 10 के अभिसाक्ष्यों में स्पष्ट सुधार किया गया प्रकट होता है, तो अपीलार्थी द्वारा उप-निरीक्षक तिवारी को यह चेतावनी देते हुए कहे गए शब्दों को अधिक महत्व नहीं दिया जा सकता है कि यदि उसने ट्रक पर चढ़ने की कोशिश की तो वह उसे मार देगा । इसी प्रकार, उस मानचित्र और उस प्रक्रिया के बारे में कोई चर्चा नहीं है जो ट्रक ने उप-निरीक्षक तिवारी के ट्रक से गिरने के पश्चात् अपनाई थी अर्थात् क्या इसकी गति बढ़ा दी गई थी और अपीलार्थी का आशय उप-निरीक्षक तिवारी पर ट्रक चढ़ा देने और उसे कुचल देने का था और अपीलार्थी को उस स्थिति की, जहां उप-निरीक्षक तिवारी गिरा था, यह जानकारी थी कि वह चलते हुए ट्रक के पिछले टायर की दिशा के भीतर है ।

11. किसी प्रस्तुत मामले में क्या मानव वध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय हत्या है, या भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के किसी भी भाग के अधीन दंडनीय आपराधिक मानव वध है, इस प्रश्न ने इस देश में भारतीय दंड संहिता के अधिनियमन से लेकर डेढ़ शताब्दी से अधिक समय से न्यायालयों का ध्यान आकर्षित किया है और इस पहलू पर निर्णयज विधि भरी पड़ी है, जिनमें शायद इस न्यायालय द्वारा दिए गए सैकड़ों निर्णय हैं । आपराधिक मानव वध के संबंध में कई स्थानों पर "संभाव्य" पद का प्रयोग अनिश्चितता के इस तत्व को रेखांकित करता है कि अभियुक्त के कृत्य से व्यक्ति की हत्या हो भी सकती थी या नहीं भी । भारतीय दंड संहिता की धारा 300 में,

जिसमें हत्या को परिभाषित किया गया है, तथापि, संभाव्य शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है जिससे अभियुक्त की ओर से संदिग्धता का अभाव न होना प्रकट होता है । अभियुक्त इस बात के लिए आश्वस्त होता है कि उसके कृत्य से निश्चित रूप से मृत्यु कारित हो जाएगी । आपराधिक मानव वध और हत्या के बीच प्रभेद करना प्राय: कठिन होता है क्योंकि दोनों में मृत्यु अंतर्वलित होती है । फिर भी, दोनों अपराधों में अंतर्वलित आशय और ज्ञान के बारे में एक स्पष्ट सुभिन्नता है । यह फर्क कृत्य की मात्रा में होता है । दोनों अपराधों के बीच आशय और ज्ञान की मात्रा का फर्क अति व्यापक है । भारतीय दंड संहिता की धारा 299 और 300 दो अपराधों को परिभाषित करती है । उन्हें नीचे उद्धृत किया जाता है :–

> "299. **आपराधिक मानव वध** – जो कोई मृत्यु कारित करने के आश से, या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से जिससे मृत्यु कारित हो जाना संभाव्य हो, या यह ज्ञान रखते हुए कि यह संभाव्य है कि वह उस कार्य से मृत्यु कारित कर दे, कोई कार्य करके मृत्यु कारित कर देता है, वह आपराधिक मानव वध का अपराध करता है ।
>
> दृष्टांत –
>
> (क) **क** एक गड्ढे पर लकड़ियां और घास इस आशय से बिछाता है कि तद्द्वारा मृत्यु कारित कर या यह ज्ञान रखते हुए बिछाता है कि संभाव्य है कि तद्द्वारा मृत्यु कारित हो । **य** यह विश्वास करते हुए कि वह भूमि सुदृढ़ है उस पर चलता है, उसमें गिर पड़ता है और मारा जाता है । **क** ने आपराधिक मानव वध का अपराध किया है ।
>
> (ख) **क** यह जानता है कि य एक झाड़ी के पीछे है । **ख** यह नहीं जानता । **य** को मृत्यु करने के आशय से या यह जानते हुए कि उससे **य** की मृत्यु कारित होना संभाव्य है, **ख** को उस झाड़ी पर गोली चलाने के लिए **क** उत्प्रेरित करता है । **ख** गोली चलाता है और **य** को मार डालता है । यहां यह हो सकता है कि **ख** किसी भी

अपराध का दोषी न हो, किंतु **क** ने आपराधिक मानव वध का अपराध किया है ।

(ग) **क** एक मुर्गे को मार डालने और उसे चुरा लेने के आशय से उस पर गोली चलाकर **ख** को, जो एक झाड़ी के पीछे है, मार डालता है, किंतु **क** यह नहीं जानता था कि **ख** वहां है । यहां, यद्यपि **क** विधिविरुद्ध कार्य कर रहा था, तथापि, वह आपराधिक मानव वध का दोषी नहीं है क्योंकि उसका आशय **ख** को मार डालने का, या कोई ऐसा कार्य करके, जिससे मृत्यु कारित करना वह संभाव्य जानता हो, मृत्यु कारित करने का नहीं था ।

स्पष्टीकरण 1 – वह व्यक्ति, जो किसी दूसरे व्यक्ति को, जो किसी विकाररोग या अंगशैथिल्य से ग्रस्त है, शारीरिक क्षति कारित करता है और तद्द्वारा उस दूसरे व्यक्ति की मृत्यु त्वरित कर देता है, उसकी मृत्यु कारित करता है, यह समझा जाएगा ।

स्पष्टीकरण 2 – जहां कि शारीरिक क्षति से मृत्यु कारित की गई हो, वहां जिस व्यक्ति ने, ऐसी शारीरिक क्षति कारित की हो, उसने वह मृत्यु कारित की है, यह समझा जाएगा, यद्यपि उचित उपचार और कौशलपूर्ण चिकित्सा करने से वह मृत्यु रोकी जा सकती थी ।

स्पष्टीकरण 3 – मां के गर्भ में स्थित किसी शिशु की मृत्यु कारित करना मानव वध नहीं है । किंतु किसी जीवित शिशु की मृत्यु कारित करना आपराधिक मानव वध की कोटि में आ सकेगा, यदि उस शिशु का कोई भाग बाहर निकल आया हो, यद्यपि उस शिशु ने श्वास न ली हो या वह पूर्णत: उत्पन्न न हुआ हो ।

300. हत्या – एतस्मिन् पश्चात् अपवादित दशाओं को छोड़कर आपराधिक मानव वध हत्या है, यदि वह कार्य, जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई हो, मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो, अथवा

दूसरा – यदि वह ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो जिससे अपराधी जानता हो कि उस व्यक्ति की

मृत्यु कारित करना संभाव्य है जिसको वह अपहानि कारित की गई है, अथवा

तीसरा – यदि वह किसी व्यक्ति को शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो और वह शारीरिक क्षति, जिसके कारित करने का आशय हो, प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो, अथवा

चौथा – यदि कार्य करने वाला व्यक्ति यह जानता हो कि वह कार्य इतना आसन्नसंकट है कि पूरी अधिसंभाव्यता है कि वह मृत्यु कारित कर ही देगा या ऐसी शारीरिक क्षति कारित कर ही देगा जिससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है और वह मृत्यु कारित करने या पूर्वोक्त रूप की क्षति कारित करने की जोखिम उठाने के लिए किसी प्रतिहेतु के बिना ऐसा कार्य करे ।

* * * *

अपवाद 1 – आपराधिक मानव वध कब हत्या नहीं है– आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है, यदि अपराधी उस समय जब कि वह गंभीर और अचानक प्रकोपन से आत्म संयम की शक्ति से वंचित हो, उस व्यक्ति, की जिसने कि वह प्रकोपन दिया था, मृत्यु कारित करे या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु भूल या दुर्घटनावश कारित करे ।

ऊपर का अपवाद निम्नलिखित परन्तुकों के अध्यधीन है –

पहला – यह कि वह प्रकोपन किसी व्यक्ति का वध करने या अपहानि करने के लिए अपराधी द्वारा प्रतिहेतु के रूप में ईप्सित न हो या स्वेच्छया प्रकोपित न हो ।

दूसरा – यह कि वह प्रकोपन किसी ऐसी बात द्वारा न दिया गया हो जो विधि के पालन में या लोक सेवक द्वारा ऐसे लोक सेवक की शक्तियों के विधिपूर्ण प्रयोग में, की गई हो ।

तीसरा – यह कि वह प्रकोपन किसी ऐसी बात द्वारा न दिया गया हो, जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विधिपूर्ण प्रयोग में की गई हो ।

स्पष्टीकरण – प्रकोपन इतना गंभीर और अचानक था या नहीं कि अपराध को हत्या की कोटि में जाने से बचा दे, यह तथ्य का प्रश्न है ।

दृष्टांत – * * * *

अपवाद 2 – आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है, यदि अपराधी, शरीर या सम्पत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार को सद्भावपूर्वक प्रयोग में लाते हुए विधि द्वारा उसे दी गई शक्ति का अतिक्रमण कर दे, और पूर्व-चिंतन बिना और ऐसी प्रतिरक्षा के प्रयोजन से जितनी अपहानि करना आवश्यक हो उससे अधिक अपहानि करने के किसी आशय के बिना उस व्यक्ति की मृत्यु कारित कर दे जिसके विरुद्ध वह प्रतिरक्षा का ऐसा अधिकार प्रयोग में ला रहा हो । **दृष्टांत** – **क** को चाबुक मारने का प्रयत्न **य** करता है, किंतु इस प्रकार नहीं कि **क** को घोर उपहति कारित हो । **क** एक पिस्तौल निकाल लेता है । **य** हमले को चालू रखता है । **क** सद्भावपूर्वक यह विश्वास करते हुए कि वह अपने को चाबुक लगाए जाने से किसी अन्य साधन द्वारा नहीं बचा सकता है गोली से **य** का वध कर देता है । **क** ने हत्या नहीं की है, किंतु केवल आपराधिक मानव वध किया है ।

अपवाद 3 – आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है, यदि वह अपराधी ऐसा लोक सेवक होते हुए, या ऐसे लोक सेवक को मदद देते हुए, जो लोक न्याय की अग्रसरता में कार्य कर रहा है, उसे विधि द्वारा दी गई शक्ति से आगे बढ़ जाए, और कोई ऐसा कार्य करके जिसे वह विधिपूर्ण और ऐसे लोक सेवक के नाते उसके कर्तव्य के सम्यक् निर्वहन के लिए आवश्यक होने का सद्भावपूर्वक विश्वास करता है, और उस व्यक्ति के प्रति, जिसकी कि मृत्यु कारित की गई है, वैमनस्य के बिना मृत्यु कारित करे ।

अपवाद 4 – आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है यदि मानव वध अचानक झगड़ा जनित आवेश की तीव्रता में हुई अचानक लड़ाई में पूर्व-चिंतन बिना और अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाए

बिना या क्रूरतापूर्ण या अप्रायिक रीति से कार्य किए बिना किया गया हो ।

स्पष्टीकरण – ऐसी दशाओं में यह तत्वहीन है कि कौन पक्ष प्रकोपन देता है या पहला हमला करता है ।

अपवाद 5 – आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है, यदि व्यक्ति जिसकी मृत्यु वह कारित की जाए, अठारह वर्ष से अधिक आयु का होते हुए, अपनी सम्मति से मृत्यु होना सहन करे, या मृत्यु का जोखिम उठाए । **दृष्टांत** – **य** को, जो अठारह वर्ष से कम आयु का है, उकसा कर **क** उससे स्वेच्छया आत्महत्या करवाता है । यहां, कम उम्र होने के कारण **य** अपनी मृत्यु के लिए सम्मति देने में असमर्थ था, इसलिए **क** ने हत्या का दुष्प्रेरण किया है ।"

12. **आंध्र प्रदेश राज्य** बनाम **रायवरपू पून्नया और एक अन्य**[1] वाले मामले में के विनिश्चय में दोनों उपबंधों के बीच के महत्वपूर्ण प्रभेद और उनके भिन्न किंतु स्पष्ट प्रभेद का उल्लेख किया गया है । न्यायालय ने प्रासंगिक रूप से यह उल्लेख किया कि :–

"12. दंड संहिता की स्कीम में 'आपराधिक मानव वध' मुख्य अपराध है और 'हत्या' उसका एक प्रकार है । सभी 'हत्याएं' आपराधिक मानव वध होती हैं किंतु सब आपराधिक मानव वध हत्या नहीं होते । मोटे तौर पर, 'आपराधिक मानव वध' में से 'हत्या के कुछ विशेष लक्षणों' को छोड़ देने पर वह 'हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव वध' होता है । दंड नियत करने के प्रयोजनार्थ इस सामान्य अपराध की गंभीरता के अनुपात के अनुसार संहिता में वस्तुत: आपराधिक मानव वध की तीन कोटियां मानी गई हैं । प्रथम वह जिसे कि 'प्रथम कोटि का मानव वध' कहा जा सकता है । यह आपराधिक मानव वध का अत्यधिक गंभीर रूप है जो कि धारा 300 में 'हत्या' के रूप में परिभाषित है । दूसरे को 'द्वितीय कोटि का आपराधिक मानव वध' कहा जा सकता है । यह धारा 304 के प्रथम भाग के अधीन दंडनीय है ।

---

[1] [1977] 3 उम. नि. प. 1104 = (1976) 4 एस. सी. सी. 382.

इसके पश्चात् 'तीसरी कोटि का आपराधिक मानव वध' है । यह आपराधिक मानव वध सबसे निम्न प्रकार का है और इसके लिए उपबंधित दंड भी तीनों कोटियों के लिए उपबंधित दंडों में सबसे कम है । इस कोटि का आपराधिक मानव वध धारा 304 के द्वितीय भाग के अधीन दंडनीय है ।

13. 'हत्या' और 'हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध' के बीच शास्त्रीय प्रभेद ने न्यायालयों को एक शताब्दी से अधिक समय तक परेशान रखा है । यदि न्यायालय इन धाराओं में विधानमंडल द्वारा प्रयुक्त पदों की सही परिधि और अर्थ पर ध्यान न देते हुए सूक्ष्म बातों में उलझ जाए तो भ्रांति उत्पन्न हो जाती है । ऐसा प्रतीत होता है कि इन उपबंधों के निर्वचन और लागू होने के संबंध में दृष्टिकोण अपनाने के लिए अत्यधिक निरापद ढंग धारा 299 और 300 में प्रयुक्त विभिन्न खंडों के मुख्य शब्दों को ध्यान में रखना है ।"

13. कोई कृत्य हत्या के रूप में दंडनीय है या हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के रूप में दंडनीय है, इसको देखने के लिए न्यायालयों को जिन बातों पर विचार करना चाहिए वे **पुलीचेर्ला नागराजू** उर्फ **नागराजा रेड्डी** बनाम **आंध्र प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले में रेखांकित की गई थी । इस न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि :–

"29. अत: आशय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न का विनिश्चय करने के लिए सावधानीपूर्वक अग्रसर होना चाहिए क्योंकि यह प्रश्न इस बात का विनिश्चय करेगा कि क्या मामला धारा 302 के अंतर्गत आता है या धारा 304 भाग-1 या धारा 304 भाग-2 के अंतर्गत । बहुत सारे तुच्छ या महत्वहीन विषय – कोई फल तोड़ लेना, पशुओं का आवारा भटकना, बालकों का झगड़ा, कटु शब्द बोलना या यहां तक कि आपत्तिजनक दृष्टि से देखना, इनके कारण लड़ाई-झगड़ा हो सकता है और समूह में भिड़ंत के परिणामस्वरूप मृत्यु हो सकती हैं । प्रायिक हेतु जैसे प्रतिशोध,

[1] (2006) 11 एस. सी. सी. 444.

लालच, ईर्ष्या या संदेह ऐसे मामलों में पूर्ण रूप से गायब हो सकता है । ऐसे मामलों में हो सकता है कोई आशय न हो । कोई पूर्व-चिंतन न हो । वास्तव में, यहां तक कि आपराधिकता भी न हो । इस सांगोपांग का दूसरा पहलू यह है कि हत्या के ऐसे मामले भी हो सकते हैं जहां अभियुक्त ऐसा मामला प्रस्तुत करके हत्या के दंड से बचने का प्रयत्न करता है कि उसका मृत्यु कारित करने का कोई आशय नहीं था । यह न्यायालयों पर निर्भर है कि वह सुनिश्चित करें कि धारा 302 के अधीन दंडनीय हत्या के मामले धारा 304 भाग 1/2 के अधीन दंडनीय अपराधों में संपरिवर्तित न हो जाएं या हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के मामले धारा 302 के अधीन दंडनीय हत्या के रूप में न समझे जाएं । मृत्यु कारित करने के आशय का साधारणतया, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित कुछ या कई परिस्थितियों के संयोजन से पता लगाया जा सकता है – (i) प्रयुक्त आयुध की प्रकृति ; (ii) क्या आयुध अभियुक्त द्वारा लाया गया था या घटनास्थल से उठाया गया था ; (iii) क्या शरीर के मार्मिक अंग पर प्रहार करने का उद्देश्य था ; (iv) क्षति कारित करने में प्रयुक्त किए गए बल की मात्रा ; (v) क्या कृत्य अचानक हुए झगड़े या अचानक हुई लड़ाई के अनुक्रम में किया गया था या किसी प्रकार की कोई लड़ाई नहीं हुई थी ; (vi) क्या घटना यकायक घटी थी या क्या कोई पूर्व-चिंतन था ; (vii) क्या कोई पूर्व-दुश्मनी थी या मृतक एक अजनबी था ; (viii) क्या कोई गंभीर या अचानक प्रकोपन था, और यदि ऐसा था, तो ऐसे प्रकोपन का कारण ; (ix) क्या यह आवेश की तीव्रता में हुआ था ; (x) क्या क्षति कारित करने वाले व्यक्ति ने असम्यक् फायदा उठाया था या क्रूर और अप्रायिक रीति में कार्य किया था ; (xi) क्या अभियुक्त ने एक प्रहार किया था या कई सारे प्रहार किए थे । निस्संदेह, परिस्थितियों की उपरोक्त सूची व्यापक नहीं है और अलग-अलग मामलों के संबंध में कई अन्य विशेष परिस्थितियां हो सकती हैं जो आशय के प्रश्न पर प्रकाश डाल सकती हैं ।"

14. इस मामले के तथ्यों पर आते हैं, जैसा कि पहले मत व्यक्त

किया गया है, इस बारे में कोई गंभीर विवाद नहीं किया जा सकता है कि अभियोजन पक्ष ने अपने तथ्यात्मक अभिकथनों के इन मुख्य अवयवों को सिद्ध किया था – वन विभाग के गतिरोधक (बैरियर) को तोड़ने की सूचना की प्राप्ति ; मृतक उप-निरीक्षक तिवारी द्वारा सड़क पर पुलिस की टुकड़ी के साथ मोर्चा संभाल लेना ; अपीलार्थी की उस व्यक्ति के रूप में शनाख्त करना जो ट्रक चला रहा था ; मृतक द्वारा अपीलार्थी को ट्रक रोकने के लिए संकेत करना ; अपीलार्थी द्वारा यान को धीमा करना ; उप-निरीक्षक द्वारा यान पर चढ़ने का प्रयत्न करना और ड्राइवर द्वारा ट्रक रोकने से इनकार करने के कारण उसके द्वारा ट्रक को डगमगाया जाना तथा दूसरी ओर, यान की गति बढ़ा देना । यदि अभियोजन पक्ष के इस वृत्तांत को स्वीकार कर लिया जाए कि अपीलार्थी ने मृतक को मार देने की धमकी दी थी, कोई भी इस बात से सहमत नहीं हो सकता है क्योंकि मृतक के विरुद्ध कोई हेतु या कोई विद्वेष साबित नहीं हुआ था । जान से मार देने की धमकी की एक साधारण अभिव्यंजना को (ऐसा करने के किसी वास्तविक आशय के बिना, चूंकि ट्रक में कोई विनिषिद्ध पदार्थ नहीं लदा था या किसी अवैध या संदेहास्पद कार्यकलाप के लिए प्रयुक्त नहीं किया गया था चूंकि वास्तव में ट्रक के स्वामी ने विचारण के दौरान अभिसाक्ष्य दिया था) अधिक महत्व नहीं दिया जा सकता है । परिणामतः, ट्रक से मृतक के गिरने पर अपीलार्थी ने ट्रक चला दिया था । इस मामले में, अभियोजन पक्ष ने यह सिद्ध किया है कि ट्रक को मृतक की बात पर ध्यान दिए बिना चला दिया गया था, तथापि, इस बात से ड्राइवर (अर्थात् अपीलार्थी) के मृतक को कुचलने का आशय सिद्ध नहीं होता है । यह प्रश्न, यद्यपि सूक्ष्म है, महत्वहीन नहीं है क्योंकि यह आशय की प्रकृति की तह में जाता है । क्या अपीलार्थी का आशय उप-निरीक्षक तिवारी को जान से मार देना था ? हमारा ऐसा विचार नहीं है । स्पष्ट रूप से, वह जानता था कि उप-निरीक्षक तिवारी गिर गया है, फिर भी उसने ट्रक चलाना जारी रखा । तथापि, क्या मृतक ट्रक के पिछले पहिए की सीध में गिरा था या वह यान के निकट गिरा था, यह बात साबित नहीं की गई है ; समान रूप से साक्ष्य से यह भी स्पष्ट नहीं है कि अपीलार्थी जानता था कि उसने ऐसा किया है । तथापि, जो साबित किया गया था वह यह है

कि मृतक ट्रक से गिर गया था और ट्रक चलाया गया था, शायद ज्यादा गति से । इससे यह साबित नहीं होता है कि अपीलार्थी ने जानबूझकर मृतक के ऊपर से ट्रक चला दिया था और वह जानता था कि मृतक इसके नीचे गिर गया है जिससे कि ट्रक का पिछला टायर उसके ऊपर से निकल गया होगा । इन परिस्थितियों में, तथापि, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अपीलार्थी का आशय ऐसी शारीरिक क्षति कारित करना था जिससे उप-निरीक्षक तिवारी की मृत्यु होना संभाव्य था ।

15. सभी आवश्यक तत्वों से दर्शित होता है कि अपीलार्थी का मृतक के साथ पहले से कोई झगड़ा और विद्वेष नहीं था । जिस कृत्य के परिणामस्वरूप उप-निरीक्षक तिवारी की मृत्यु हुई थी उसका पूर्व-चिंतन नहीं किया गया था । यद्यपि यह नहीं कहा जा सकता है कि अचानक प्रकोपन के कारण कोई झगड़ा हुआ था, यदि इस बात पर विचार किया जाए कि मृतक ने ट्रक पर चढ़ने की कोशिश की थी और शायद वह सादे कपड़ों में था, तो उसका विरोध करना अपीलार्थी की स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी किंतु उसने अननुपातिक रूप से प्रतिक्रिया की थी, जिसके परिणामस्वरूप मृतक को यान से धकेल दिया गया था । मृतक को धकेल देने का ऐसा कृत्य और ट्रक को रोके बिना ट्रक को चलाते रहना आवेश की तीव्रता या क्रोध में किया गया कार्य प्रतीत होता है । इसलिए यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपीलार्थी की दोषसिद्धि उचित नहीं थी ।

16. भारतीय दंड संहिता की धारा 304 में हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध (भारतीय दंड संहिता की धारा 299 के अधीन) के लिए दंड का उपबंध किया गया है । भारतीय दंड संहिता की धारा 304 निम्न प्रकार से है :–

> "**304. हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के लिए दंड** – जो कोई ऐसा आपराधिक मानव वध करेगा, जो हत्या की कोटि में नहीं आता है, यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई है, मृत्यु या ऐसी शारीरिक क्षति, जिससे मृत्यु होना संभाव्य है, कारित करने के आशय से किया जाए, तो वह आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी

अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से विदंडनीय होगा ; अथवा

यदि वह कार्य इस ज्ञान के साथ किया कि उसे मृत्यु कारित करना संभाव्य है किंतु मृत्यु या ऐसी शारीरिक क्षति, जिससे मृत्यु कारित करना संभाव्य है, कारित करने के किसी आशय के बिना किया जाए, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।"

प्रस्तुत मामले के तथ्यों में, इस न्यायालय की यह राय है कि अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के प्रथम भाग के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाना चाहिए चूंकि उसका आशय मृतक को ऐसी शारीरिक अपहानि कारित करने का था जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु कारित होना संभाव्य था, जैसा कि उसने किया था । इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, निचले न्यायालयों द्वारा अभिलिखित की गई दोषसिद्धि को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग-1 के अधीन आने वाली दोषसिद्धि में परिवर्तित किया जाता है । अतः दंडादेश को भी उपांतरित किया जाता है – कठोर आजीवन कारावास के बजाय अपीलार्थी को 10 वर्ष के कठोर कारावास का दंडादेश दिया जाता है । तथापि, जुर्माने का संदाय करने के निदेश के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाती है ।

17. यह अपील सफल होती है और उपरोक्त निबंधनों के अनुसार मंजूर की जाती है । खर्चे के लिए कोई निदेश नहीं किया जाता है ।

अपील भागतः मंजूर की गई ।

जस.